कार्यालय मुख्य अभियंता बोधी,
जल संसाधन विभाग, स्वारा भवन
कोलार गेस्ट हाउस के पीछे,
लिंक रोड नं.– 3,भोपाल(म0प्र)
दूरभाष कमांक 0755-2424038,2426525 फैक्स नं 0755-242833
E-mail: cebodhimpwrd @gmail.com

पत्र कमांक : 132 / **Flood/** बोधी / 2025 भोपाल दिनांक 20/ 06 / 2025

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता /
परियोजना संचालक,
जल संसाधन विभाग,
मध्य प्रदेश।

विषय :– अति वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों के सबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सम्रिति की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

सन्दर्भः– उप राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त मध्यप्रदेश का पत्र कमांक 639/रा.आ / सां / 2025 दिनांक 19.06.2025.

******

उपरोक्त विषयांतर्गत मानसून 2025 में वर्षा पूर्व बाढ़ से बचाव के संबंध मे मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09 / 06 / 2025 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर जल संसाधन विभाग से अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र–: कार्यवाही विवरण।

20/6/2025

(आर0डी0 अहिरवार)
मुख्य अभियंता (बोधी)
जल संसाधन विभाग भोपाल (म0प्र)

पृ0पत्र कमांकः 133 / **Flood/** बोधी / 2025 भोपाल दिनांक 20/ 06 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी,राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, राज्य जल आकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र, लिंक रोड नंबर–3 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

सहपत्र–: कार्यवाही विवरण।

20/6/2025

(आर0डी0 अहिरवार)
मुख्य अभियंता (बोधी)
जल संसाधन विभाग भोपाल (म0प्र)

कार्यालय राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश
राजस्व राहत भवन, 220 अरेरा हिल्स,
फोन-0755-2579988, 2441574, 2441419

क्रमांक 639/रा.आ./सां./2025 भोपाल,दिनांक 19/06/2025

विषय:- अतिवर्षा एवं बाढ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

आगामी मानसून 2025 में वर्षा पूर्व बाढ से बचाव के संबंध में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2025 को आयोजित की गयी थी। बैठक का कार्यवाही विवरण सादर संलग्न प्रेषित है।

उप राहत आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहभागिता हेतु अधिकारियों की सूची.

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग
7. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग।
8. अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
9. अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
10. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
11. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
12. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
13. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग।
14. प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग।

15. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग।
16. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग।
17. प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुर्नवास विभाग।
18. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
19. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
20. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
21. सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग।
22. सचिव, जनसंपर्क विभाग।
23. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर।
24. सचिव, परिवहन विभाग।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड।
26. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
27. महानिदेशक, नगर सेवा एवं नागरिक सुरक्षा।
28. सचिव गृह विभाग एवं समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण भोपाल।
29. कमाण्डेंट, 11 BN एन.डी.आर.एफ. वाराणसी उत्तरप्रदेश।
30. स्टेशन कमाण्डर, सेना मुख्यालय, मध्यप्रदेश, सब एरिया, भोपाल।
31. निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) अरेरा हिल्स भोपाल।
32. संचालक, केन्द्रीय जल आयोग भोपाल।
33. स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी भोपाल।
34. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी भोपाल।
35. डिविजनल, रेलवे मैनेजर, सेंट्रल रेलवे भोपाल।
36. स्टेशन डायरेक्टर, दूरदर्शन भोपाल।
37. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड।
38. राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र विज्ञान भवन।
39. जल विज्ञान डेटा सेंटर।

उप राहत आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// कार्यवाही विवरण //

विषयः-अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

......

आगामी मानसून 2025 के पूर्व अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनाकं 09.06.2025 को 12:30 बजे बैठक आयोजित की गई। **परिशिष्ट-अ** संलग्न अनुसार अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की एजेण्डा वार समीक्षा की गई।

प्रमुख सचिव राजस्व एवं पदेन राहत आयुक्त द्वारा बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया गया। सर्वप्रथम मध्यप्रदेश राज्य के बाढ़ उन्मुख जिले, विगत 3 सालों की वर्षा के आंकड़े एवं आगामी मानसून काल 2025 के वर्षा संबंधी पूर्वानुमानों से अवगत कराया गया। साथ ही मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन सिचुएशन रूम (VBSR) में आपदा की स्थिति से निपटने हेतु अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से क्रियाशील Disaster Warning Response System (DWRS) एवं आपदा सुरक्षा पोर्टल के बारे में जानकारी दी गयी।

आगामी मानसून हेतु बाढ़ से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में विभागवार वांछित कार्यवाही की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई। बैठक में विभागवार चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

- **राजस्व विभाग-** इस विभाग के प्रमुख दायित्व है कि समस्त जिला कलेक्टरों को बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में सामान्य निर्देश एवं चैकलिस्ट जारी किया जाना। चैक लिस्ट में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आंकलन, बाढ़ उन्मुख नदियां, बड़े बांधों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, पूर्व सूचना एवं प्रचार-प्रसार की प्रणाली, आपातकालीन कार्यवाहियां, उपलब्ध उपकरणों को सूचीबद्ध/मरम्मत कराना, नवीन उपकरणों के क्रय की जानकारी आदि के विषय में आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को निर्देशित किया जाना। बाढ़ से क्षति होने की स्थिति में जनहानि, पशुहानि, मकानक्षति, फसलक्षति आदि विभिन्न प्रकार की

जानकारी जिलों से एकत्रित करना। आपदा प्रभावितों को समय-सीमा में राहत राशि वितरण करना। बाढ़ आपदा से क्षति की जानकारी हेतु विकसित आपदा सुरक्षा पोर्टल (DWRS) पर दैनिक जानकारी ऑनलाइन जिलों से प्राप्त करना। विभाग द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग)

- **गृह विभाग-** आपदा प्रबंधन हेतु गृह विभाग नोडल विभाग है। अत: बचाव व राहत कार्य की स्थिति में गृह विभाग SDERF, NDERF व सेना से समन्वय स्थापित करके आवश्यक कार्यवाही करता है। विभाग के प्रमुख दायित्व पुलिस एवं होमगार्ड के पास उपलब्ध मोटरबोट्स आदि बाढ़ बचाव सामग्रियों को तैयार हालत में (क्रियाशील स्थिति) रखना, पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देना, आपदा की स्थिति में नियोजित मानव संसाधनों की सूची तथा प्रशिक्षित तैराकों की सूची जिलेवार उपलब्ध कराया जाना है।

अपर मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा राहत बचाव कार्यों हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण होना बताया गया। उप महानिदेशक होमगार्ड द्वारा उपलब्ध बाढ़ राहत सामग्री की जानकारी दी गई। पूर्व वर्ष में उपकरण क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होना बताया गया। यह भी अवगत कराया गया है कि इस वर्ष मानसून काल हेतु पर्याप्त राहत बचाव सामग्री उपलब्ध है।

उक्त संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा होमगार्ड/ आर्मी/ एयरफोर्स/ एसडीईआरएफ/ पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी कार्यवाहियों की समीक्षा की जाकर दिनांक 25.06.2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा आर्मी एवं एयरफोर्स के साथ आवश्यकता अनुसार समन्वय किया जाए तथा बाढ़ से निपटने संबंधी सभी उपकरणों की उपलब्धता एवं उपकरण ठीक से कार्य करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा भी की जाए।

(कार्यवाही : गृह विभाग)

- **मौसम विभाग:-** मौसम विभाग का मुख्य दायित्व वर्षा की दैनिक जानकारी तथा मानसून अवधि में मौसम पूर्वानुमान की जानकारी से प्रतिदिन गृह विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नियमित रूप से अवगत कराना है।

बैठक में मौसम विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सचेत एवं दामिनी एप के संबंध में अवगत कराया गया। जिला स्तरीय अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी साझा किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा मौसम विभाग को नियमित रूप से जानकारी देने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : मौसम विभाग)

- **<u>केन्द्रीय जल आयोग</u>-** प्रत्येक वर्ष की भांति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूर्वानुमान तथा चेतावनी की जानकारी गृह विभाग, राजस्व विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष तथा संबंधित जिला कलेक्टर्स को प्रदाय किए जाने की व्यवस्था को सुचारू रखने का निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : केन्द्रीय जल आयोग)

- **<u>सेना का सहयोग</u>-** बाढ़ की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यो के लिये सेना की आवश्यक तैयारी की जानकारी ली गई। आर्मी की ओर से उपस्थित बिग्रेडियर श्री नायर द्वारा अवगत कराया गया कि संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश के 55 जिलों में उनके द्वारा समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। उक्त सूची गृह विभाग, राजस्व विभाग एवं समस्त कलेक्टर्स को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलों में आपदा की स्थिति में प्रदेश स्तर पर समन्वय हेतु बिग्रेडियर श्री नायर नोडल अधिकारी है।

(कार्यवाही : मिलिट्री सब -एरिया भोपाल/ एनडीआरएफ वाराणसी)

- **<u>रेडक्रॉस</u>-** रेडक्रॉस के माध्यम से आवश्यक दवाई एवं राहत सामग्री के वितरण की पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : सचिव रेडक्रॉस)

- **<u>रेलवे</u>-** बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सड़क संपर्क कटने पर रेलवे की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। रेलवे के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यो को प्रभावशील ढंग से किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : संभागीय रेल प्रबंधक भोपाल)

- **<u>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</u>-** इस विभाग का दायित्व निचले स्थानों की पहचान, अतिवर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर होने की स्थिति में इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम को देना। निचले स्थानों पर रहने वाली जनसंख्या के लिए सुरक्षित स्थान पर शिफ्टकरने का कार्य, अन्य विभागों से समन्वय करना, विभाग के अमले एवं स्वयंसेवकों का चिन्हांकन किया जाना है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि बाढ़ बचाव के संबंध में स्थाई निर्देश पूर्व से ही हैं। जिला कलेक्टरो को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सडकों के संबंध में प्रदेश में ऐसे पुल-पुलिया या रपटे जो पानी में डूबते है, उनका चिन्हांकन किया जाये। निचले क्षेत्रों /रपटों की पहचान कर बोर्ड आदि लगाकर मार्किंग करायें। बोर्ड लगवाने के साथ-साथ ऐसे सभी स्थानों पर बैरियर लगाए व एक व्यक्ति की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्य में पुलिस की भी मदद ली जाए।

(कार्यवाही : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

- <u>**लोक निर्माण विभाग**</u>- लोक निर्माण विभाग का प्रमुख दायित्व पुलों पर यातायात नियंत्रण हेतु बैरियर लगाना, वर्षा पूर्व क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत/सुधार करवाना, सडकों के गड्ढों की मरम्मत करवाना, शासकीय संरचनाओं का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करना, निर्माण स्थलों को सुरक्षित करना एवं खतरनाक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाना आदि है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बाढ़ पूर्व आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। संबंधितों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लो-लाइन एरिया चिन्हांकित करें। पुल-पुलिया एवं जलभराव वाले स्थानों पर बोर्ड के साथ बैरियर भी लगाये एवं पुलिस से संपर्क कर एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगायी जाये।

(कार्यवाही : लोक निर्माण विभाग)

- <u>**जल संसाधन विभाग**</u>- इस विभाग का मुख्य दायित्व राज्य में स्थित समस्त बांधों/तालाबों के तटबंधों की सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण एवं वर्षा पूर्व आवश्यक मरम्मत, नदियों के जलस्तर की निगरानी, बांधो की जलस्तर की निगरानी, पानी छोड़ने की जानकारी संकलित करना, संबंधित विभागों के साथ सूचना का आदान-प्रदान,बाढ़ के दौरान तटबंधो की सुरक्षा हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं आदि हैं।

अपर मुख्य सचिव जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24X7 संचालित रहता है। बांधों के गेट खोलने एवं बाढ रोकने हेतु बेहतर जल प्रबंधन के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय बैठके भी संपादित की जाती है। 05 सीमावर्ती राज्यों में से 02 के साथ बैठक हो गयी है शेष के साथ बैठक अतिशीघ्र की

जायेगी। रेलवे के साथ भी डेम के पानी छोडने के संबंध मे समन्वय हेतु मीटिंग की जायेगी। मानसून पूर्व 85% जलाशयों का निरीक्षण हो गया है। बांधों की आवश्यक रिपेयरिंग एवं ग्रेडिंग की प्रक्रिया प्रचलित है। मौसम विभाग से प्राप्त वर्षा के पूर्वानुमानों के अनुसार बांधों से पानी छोडने की कार्यवाही की जाती है। DHARMA (Dam health and Rehabilitation monitoring Application) को भी अद्यतित किया जाता है। DWRS पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सूचना एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी समय-सीमा में सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में अपरिहार्य परिस्थितयों में बांधों से पानी छोडने की प्रभावित क्षेत्रों एवं संबंधितों विभागों की मैपिंग की जाकर पूर्व सूचना दिये जाने पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग को दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि बांधो में जलभराव के स्तर मेन्टेन रखे जाएं एवं प्रिडिक्शन लेवल समय से जारी किये जाये ताकि बाढ़ से बचाव हो सके। डेम से पानी को समय-समय पर रिलीज किया जाये, जिससे अधिक वर्षा होने पर बाधों का जलस्तर मेंटेन रहे। वॉर्निग सिस्टम भी अपडेट रखा जाये। बांध की सुरक्षा तथा आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए। आवश्यकता पडने पर तत्काल प्रभावितों की शिफ्टिंग की कार्यवाही भी की जाए। सभी जलाशयों एवं नदियों के संबंध में बाढ़ के स्तर की सघन मॉनिटरिंग एवं मार्किंग की जाए ताकि समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाकर जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। इस संबंध में उड़ीसा के मॉडल को अध्ययन कर अपनाया जा सकता है।

(कार्यवाही : जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण)

- **<u>नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण</u>-** प्राधिकरण का मुख्य दायित्व है बडे बांधों में पानी छोड़ने का समन्वय, कन्ट्रोल रूम की स्थापना, डूब क्षेत्र में हुई अनाधिकृत बसाहट को हटवाना ताकि बाढ़ की स्थिति में कोई जनहानि न हो, जलाशयों द्वारा गेट खोले जाने पर बाढ के पानी का बस्ती क्षेत्रों में पहुँचने से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था, बरगी तथा तवा बांध से पानी छोडने के संबंध में दोनों एजेंसी में पूर्ण समन्वय की व्यवस्था आदि।

बाढ के दौरान बचाव कार्य हेतु नावों एवं अन्य संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था होने की जानकारी अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा दी गई।

(कार्यवाही : नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण)

- **<u>परिवहन विभाग</u>**- परिवहन विभाग पर ओवर लोडिंग पर नियंत्रण, पुरानी बसों को नियंत्रित करना,बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण हेतु वाहनों का चिन्हांकन करना एवं वाहन उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व है।

(कार्यवाही : परिवहन विभाग)

- **<u>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुष विभाग</u>**- इस विभाग के मुख्य दायित्व है,बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आपातकाल में उपयोग हेतु चिकित्सा दलों के गठन,बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव की तैयारी हेतु सामुदायिक/प्राथमिक/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाओं के पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था,समय पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना आदि।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बाढ उन्मुख क्षेत्रों मे वर्षाकाल के दौरान समस्त आवश्यक कार्यवाही करने एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों का पर्याप्त भंडारण संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मानसून काल में पानी के संदूषण से होने वाली बीमारियों जैसे- उल्टी, दस्त एवं अन्य बीमारियों की उचित देखरेख एवं बीमारियों से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्था रखी जाए। वर्षा के प्रारंभ होने पर प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के आंकडों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर इनके प्रभाव को न्यूंनतम करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

- **<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग</u>**- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों का गुणवत्ता परीक्षण, बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना, बाढ़ की स्थिति में पेयजल स्त्रोंतो का गुणवत्ता परीक्षण, आपातकालीन स्थिति में पेयजल की व्यवस्था करना, दूषित पेयजल स्त्रोतों का सर्वेक्षण कर शुद्धिकरण किया जाना तथा लगातार मॉनिटरिंग एवं सघन निगरानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी हेतु क्लोरीन टैबलेट के वितरण एवं उसके उपयोग हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि कार्य किये जाते है।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों के शुद्धिकरण एवं गुणवत्ता परीक्षण,पेयजल स्त्रोंतो के आस-पास साफ-सफाई की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। यह भी अवगत कराया गया कि जलजीवन

मिशन अंतर्गत व्यापक कार्यवाही होने से पानी का संदूषण कम हो गया है। यह अनुरोध किया गया कि संक्रमण फैलने की स्थिति में सैंपल लेने के बाद ही निर्धारण हो कि बीमारी जल संदूषण से है अथवा खाद्य पदार्थ संदूषण से ताकि विभाग द्वारा आवश्यक कदम समय पर उठाये जा सके।

उक्त संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मानसून पूर्व सभी पेयजल स्रोतों का क्लोनरीनेशन कराया जाए। पानी के सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उनका परीक्षण कराया जाए। पेयजल स्रोतों को वर्षा के दौरान प्रदूषित होने से रोकने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।

(कार्यवाही : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

- **<u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</u>-** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दायित्व हैं वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व पहुँच विहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न का भण्डारण सुनिश्चित करना एवं वेयरहाउस आदि में भंडारित खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। 03 माह का एडवांस स्टॉक जारी किया गया है। 13 संवेदनशील जिलों में अग्रिम आवंटन भी जारी किया गया है। 62 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पंचायत एवं ग्रामीण भवनों के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ठीक कराने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

- **<u>महिला एवं बाल विकास विभाग</u>-** विभाग के प्रमुख दायित्व बाढ़ के पूर्व आंगनबाडियों में आवश्यक दवाईयां, पोषण आहार का भंडारण सुनिश्चित करना, पूर्व से ही काउन्सलर/समाज सेवी संस्थाओं आदि को सूचीबद्ध करना। बाढ़ के दौरान महिलाओं एवं बालकों के स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं के संरक्षण की व्यवस्था करना।

(कार्यवाही : महिला एवं बाल विकास विभाग)

- **<u>नगरीय विकास एवं आवास विभाग</u>-** नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दायित्व हैं नाले एवं नालियों की सफाई की व्यवस्था, जल निकासी के स्थल, नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाना, निचली बस्तियां खाली करवाने तथा अस्थाई कैम्प हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाना। साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रशिक्षण,बाढ़ बचाव हेतु सामग्री का चिन्हांकन भी सुनिश्चित करना है।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सभी जिलों में वर्षा पूर्व आवश्यक तैयारियों हेतु कार्यवाही की गयी है। जल भराव की स्थिति में सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई, जिन जिलों के निचली बस्ती में सामान्यत: जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, ऐसे क्षेत्रों के लोगों को ऊंचे क्षेत्रों में शिफ्ट कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जर्जर भवनों को चिहिंत कर खाली करायें। अस्थायी राहत शिविरों को चिंहित कर तैयार रखें। नाले और नालियों की सफाई कराकर ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कराये जिससे शहरी क्षेत्रों में बाढ की स्थिति निर्मित न हो इस संबंध में पूर्व में बाढ की स्थिति निर्मित होने संबंधी रिकार्ड देख लें व जिन स्थानों पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई हो वहां पहले से आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही : नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

- **<u>ऊर्जा विभाग-</u>** विभाग के मुख्य दायित्व बाढ़ के दौरान विभागीय नियंत्रण कक्ष के निर्बाध संचालन हेतु कार्य योजना एवं इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था। विभागीय संसाधनों की सूची तैयार करना एवं फील्ड टीमों का गठन तथा उनके संपर्क नम्बरों के पब्लिक डिस्प्ले की व्यवस्था। बाढ के दौरान लोगों के करंट लगने से बचाव हेतु योजना तथा बस्ती में बाढ के पानी आने पर पॉवर कट करने हेतु पूर्व व्यवस्था।

  विद्युत सप्लाई एवं संचार प्रणाली सुनिश्चित करने की वैकल्पिक व्यवस्था तथा राहत स्थल, मेडिकल कैम्प, आपातकालीन संचालन केन्द्र में वैकल्पिक व्यवस्था।

(कार्यवाही : ऊर्जा विभाग)

- **<u>किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग</u>**- इस विभाग के दायित्व हैं पहुंच विहीन क्षेत्रों में कृषि हेतु आवश्यक बीज ,कीटनाशक, उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करना, कृषकों को अतिवर्षा,कीट, आदि के संबंध में समय समय पर जानकारी एवं चेतावनी देने हेतु समुचित व्यवस्था करना। कीट एवं रोग की निगरानी एवं सूचना प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा अवगत कराया कि कृषि हेतु आवश्यक बीज ,कीटनाशक, उर्वरक की आपूर्ति हेतु व्यवस्था कर ली गयी है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त किसानों को मौसम एवं आपदा संबंधी लोकल एरिया प्रिडिक्शन एवं चेतावनी प्रदाय हेतु व्यवस्था

की जाये। न्यू प्रिडिक्शन सिस्टम एवं GIS मैप तैयार किया जाये ताकि सही समय पर किसानों के संपर्क नंबर पर आपदा एवं मौसम संबंधी चेतावनी अथवा सूचना पहुंच सके।

यह भी निर्देश दिए गए कि मौसम संबंधी पूर्वानुमानों एवं चेतावनियों से कृषकों को अवगत कराने हेतु कम्यूनिकेशन प्लान बनायें। इस हेतु क्षेत्रवार किसानों की मैंपिग कर क्षेत्र आधारित मौसम पूर्वानुमानों की सही जानकारी/चेतावनी कृषकों **को समय पर प्रदान करने के लिए मौसम विभाग के साथ समन्वय कर एक प्रणाली विकसित करें।**

(कार्यवाही : किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग)

- **<u>पशुपालन विभाग</u>**- पशुपालन विभाग का दायित्व है बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन, दवाईयों आदि की उपलब्धता, चारे-घास का भण्डारण,बाढ़ के दौरान मृत पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की रोक-थाम की व्यवस्था तथा मृत पशुओं के सुरक्षित शव निपटान हेतु समन्वय आदि सुनिश्चित करना।

प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस बारे में आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं। प्री-मानसून वैक्सीनेशन कंप्लीट किये जा चुके है। बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन, दवाईयों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। लोकल एरिया में स्थानीय चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं, जिनके दूरभाष नंबर किसानों को दिये गये है।

(कार्यवाही : पशुपालन विभाग/नगरीय विकास एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

- **<u>जनसंपर्क विभाग</u>-**इस विभाग के मुख्य दायित्व हैं बाढ के दौरान प्रेस ब्रीफिंग की नियमित व्यवस्था। इस व्यवस्था से मीडियाकर्मी को अवगत कराना। निर्धारित समय एवं स्थल पर मीडिया को बाढ की स्थिति एवं इससे बचाव हेतु किये जा रहे कार्यो की जानकारी देना। मीडिया में प्रसारित खबरों का अनुसरण एवं सत्यापन के पश्चात उन पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को सूचित करने की व्यवस्था।

(कार्यवाही : जनसंपर्क विभाग)

- **<u>दूरदर्शन तथा आकाशवाणी</u>-** दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग एवं राज्य बाढ नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय कर भारी वर्षा तथा बाढ की स्थिति निर्मित होने पूर्व चेतावनी एवं स्थानीय लोगों को सही जानकारी का प्रसारण किया जाता है।

(कार्यवाही : आकाशवाणी एवं दूरदर्शन)

<u>मुख्य सचिव म.प्र. द्वारा दिये गये अन्य निर्देश:-</u>

- बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को दिये गये निर्देशानुसार चैकलिस्ट तैयार कर समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाए। **<u>दिनांक 25.06.2025 को समस्त आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।</u>** उक्त कार्य हेतु राजस्व विभाग नोडल रहेगा।

कार्यवाही: समस्त विभाग

- प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान व्यापक पैमाने पर चलाये जाएं प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर आमजन को इन घटनाओं से बचने के उपायों एवं सर्पदंश के पश्चात रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में अवगत कराया जाए। सर्पदंश की घटनाओं की GIS मेपिंग करायी जाए। अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन संस्थान , गृह विभाग एवं राजस्व विभाग संयुक्त बैठक कर इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर लागू करें।

कार्यवाही: गृह विभाग, राजस्व विभाग, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन संस्थान

- आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि की संख्या प्रदेश बढ़ी है। इस संबंध में दामिनी एवं सचेत एप के माध्यम से आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी जारी की जाती है। आमजन को उक्त एप डाउनलोड कर अधिक से अधिक उपयोग करने एवं स्थानीय निकायों (पंचायतो) के माध्यम से आमजन को जागरूक व प्रोत्साहित किया जाए।

कार्यवाही: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय विकास एवं आवास विभाग

- पूर्व चेतावनियों को समय से लोगों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बैठक गठित की जाए जो 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य रहेगें:-

1. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
3. सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड MPSEDC
5. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग।

उक्त समिति मौसम पूर्व चेतावनी संबंधी सभी प्रकार के पोर्टल एवं एप को एकीकृत कर सूचनाएं आम लोगों तक समय पर पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार करेगी। आमजन तक सूचनाएं पहुंचाने संबंधी उड़ीसा मॉडल का अध्ययन करेगी। पूर्व चेतावनी/सूचनाएं लोगो तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करेगी। उक्त संबंध में प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकों के प्रभावी उपयोग की योजना बनाएगी ताकि आगामी वर्षों में आपदाओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

कार्यवाही: गृह विभाग, राजस्व विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, MPSEDC, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

मुख्य सचिव द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाहियां दिनांक 25 जून तक पूर्ण करने हेतु समस्त विभागों को निर्देश दिये गये तथा किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति के निराकरण हेतु विभागीय स्तर पर अपेक्षित आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने तथा आपदा की स्थिति में सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(अंत में धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।)

अतः उपरोक्तानुसार विभागों/कार्यालयों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध है।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं
राहत आयुक्त मध्यप्रदेश